अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

संशोधित व्यवसाय योजना

आय सृजन गतिविधि – बुनाई

द्वारा

लक्ष्मी- स्वयं सहायता समूह

एसएचजी/सीआईजी नाम	::	लक्ष्मी
वीएफडीएस नाम	::	चौरा
श्रेणी	::	भभनगर
विभाजन	::	किन्नौर

इसके तहत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना

(जाईका सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठ
1.	परिचय	3
2.	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	4
3.	लाभार्थियों का विवरण	5
4.	गांव का भौगोलिक विवरण:	5-6
5.	प्रबंध	6
6.	प्राथमिक कार्य योजना	6
7.	ग्राहकों	6
8.	केंद्र का लक्ष्य	6
9.	इस व्यवसाय को शुरू करने का कारण	7
10.	स्वोट अनालिसिस	7
11।	मशीनरी, औजार और अन्य उपकरण	7-8
12.	महीने में कुल उत्पादन और बिक्री राशि	8-9-10
13.	लाभ का बंटवारा	10
14.	धन के स्रोत और खरीद	10
15.	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	10-11
16.	ऋण चुकौती अनुसूची	11
17.	निगरानी विधि	11
18.	टिप्पणी	11
19	समूह के सदस्यों की तस्वीरें	11-12-13-14

1. परिचय

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है और पश्चिमी हिमालय में स्थित है। इसकी विशेषता कई चोटियों और व्यापक नदी प्रणाली की विशेषता वाले चरम परिदृश्य हैं। हिमाचल प्रदेश को "भगवान की भूमि" के रूप में जाना जाता है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है।

राज्य में विविध पारिस्थितिकी तंत्र, नदियाँ और घाटियाँ हैं, और इसकी आबादी 7.5 मिलियन है और यह शिवालिक की तलहटी से लेकर मध्य पहाड़ियों (MSL से 300 - 6816 मीट्रिक टन ऊपर), ऊँची पहाड़ियों और ऊपरी हिमालय के ठंडे शुष्क क्षेत्रों तक 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह घाटियों में फैला हुआ है, जहाँ से कई बारहमासी नदियाँ बहती हैं। राज्य की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि, बागवानी, जलविद्युत और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं।

हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और किन्नौर राज्य के बारह प्रशासनिक जिलों में से एक है। किन्नौर जिला तीन प्रशासनिक उप-विभागों में विभाजित है, जैसे कल्पा, निचार (भाबानगर) और पूह और इसमें छह तहसील हैं। जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में स्थित है। यह लाहुल और स्पीति के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नौर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6401 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 84121 है।

किन्नौर जिला कभी निषिद्ध भूमि हुआ करता था, लेकिन अब यह साहसी और साहसी साधकों के लिए खजाना बन गया है। भगवान शिव का निवास किन्नौर कैलाश पर्वत कल्पा से देखा जा सकता है। इसके अलावा नाको गांव में प्राचीन काल की झलक मिलती है। निचले किन्नौर में हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव है, साथ ही उनकी आस्था प्रणालियों में बौद्ध धर्म के निशान भी हैं, और ऊपरी इलाकों में बौद्ध धर्म का बोलबाला है और दोनों धर्म एक साथ मौजूद हैं। किन्नौर जिला अपने सूखे मेवों जैसे चिलगोजा, खुबानी और बादाम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सेब की खेती ने भी गति पकड़ी है और अब किन्नौर जिले के सेब राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक कीमत प्राप्त कर रहे हैं।

स्वेटर और कार्डिगन बुनने के साथ-साथ मोजे, मफलर, स्कार्फ, टोपी, दस्ताने आदि बुनना मुख्य रूप से ग्रामीण भारत की महिलाओं के बीच एक आम घरेलू गतिविधि है। अधिकांश महिलाएं इस IGA से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वे इसे अपने खाली समय में और साथ ही घर के अन्य कामों के साथ खुशी-खुशी करती हैं। इस SHG की महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। अब सदस्यों ने इस गतिविधि को IGA के रूप में चुना है ताकि वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे कमा सकें और मुश्किल समय के लिए कुछ बचत भी कर सकें। विभिन्न आयु वर्ग की 12 महिलाओं का एक समूह JICA परियोजना के तहत एक SHG बनाने के लिए एक साथ आया और एक व्यवसाय योजना तैयार करने का फैसला किया जो उन्हें इस IGA को सामूहिक रूप से लेने और अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने में मदद कर सके।

2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

2.1	स्वयं सहायता समूह/सीआईजीनाम	::	लक्ष्मी
2.2	वीएफडीएस	::	चौरा
2.3	श्रेणी	::	भभनगर
2.4	विभाजन	::	किन्नौर
2.5	गाँव	::	चौरा
2.6	अवरोध पैदा करना	::	भभनगर
2.7	ज़िला	::	किन्नौर
2.8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	14-महिलाएं
2.9	गठन की तिथि	::	07-01-2022
2.10	बांका/सीसं.	::	25110114237
2.11	बैंक विवरण	::	राज्य सहकारी बैंक बी/नगर
2.12	स्वयं सहायता समूह/CIGMonthlySaving	::	50/(प्रत्येक माह के 15वें दिन आयोजित होने वाली बैठक)
2.13	कुल बचत		8,110 28-02-2023 तक
2.14	कुल अंतर-ऋण		
2.15	नकदक्रेडिटसीमा		--
2.16	पुनर्भुगतान स्थिति		--

3. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम	पिता/पतिमुझे	आयु	वर्ग	जारी संख्या	पद का नाम	पेशा
1	श्रीमती गीता देवी		34	अनुसूचित जनजाति	9816803714	प्रधान	कृषि
2.	श्रीमती अनीता देवी	श्री गौतम सिंह	36	अनुसूचित जनजाति	8580864158	सचिव	कृषि
3.	श्रीमती रेखा देवी	श्री श्याम जीत	38	अनुसूचित जनजाति	9418219692	केशियर	कृषि
4.	श्रीमती बरखा देवी	श्री तारा चंद	40	अनुसूचित जनजाति	7807469576	सदस्य	कृषि
5.	श्रीमती लता देवी	श्री किशोर कुमार	26	अनुसूचित जनजाति	6230355614	सदस्य	कृषि
6.	श्रीमती सुजाता	श्री.विन्द्रावन	33	अनुसूचित जनजाति	8278859065	सदस्य	कृषि
7.	श्रीमती फूल दास्सी	श्री रामकुमार	46	अनुसूचित जनजाति	8626966287	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती चिंता देवी	श्री राजकुमार	36	अनुसूचित जनजाति	8894358725	सदस्य	कृषि
9	श्रीमती यानचेन	श्री सुख नंद	38	अनुसूचित जनजाति	8894380047	सदस्य	कृषि
10	श्रीमती मान कुमारी	श्री उदय सिंह	29	अनुसूचित जनजाति	8219304864	सदस्य	कृषि
11	श्रीमती प्रेम लता	श्री.इंदर सिंह	46	अनुसूचित जनजाति	9459350976	सदस्य	कृषि
12	श्रीमती कविता नेगी	श्री.सुनील कुमार	28	अनुसूचित जनजाति	9816805888	सदस्य	कृषि
13	श्रीमती ललिता देवी	श्री कृष्ण कुमार	39	अनुसूचित जनजाति	8628958764	सदस्य	कृषि
14	श्रीमती सत्या देवी	श्री योग राज	37	अनुसूचित जनजाति	9816472621	सदस्य	कृषि

4. गांव का भौगोलिक विवरण:

4.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	67 किमी
4.2	रेंज कार्यालय से दूरी	::	17 किमी
4.3	मुख्य सड़क से दूरी	::	लगभग 250-500 मीटर
4.4	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	चौरा और निगुलसारी - 200 मीटर - 4 किमी
4.5	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	::	भाबानगर- 17 किमी, रिकांगपिओ -67 किमी और रामपुर- 33 किमी
4.6	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	::	भाबानगर- 17 किमी, रिकांगपिओ -67 किमी और रामपुर- 33 किमी
4.7	उन स्थानों/स्थानों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा		आसपास के गांव अर्थातवार्ड नं. 5 (चौरा), वार्ड नं. 6 (शिलानी) और वार्ड नं. 7 (कफौर), निगुलसरी, ज्योरी और झाकड़ी

5. प्रबंध

बुनाई केंद्र द्वारालक्ष्मीइसमें 14 महिला सदस्य हैं और उनके पास व्यक्तिगत बुनाई मशीनें होंगी और वे गांव में एक कमरा किराए पर लेंगी ताकि वे अपनी योजना को क्रियान्वित कर सकें और सामूहिक रूप से काम कर सकें। केंद्र में वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले सभी सदस्यों को कुछ पेशेवर प्रशिक्षकों के तहत बुनाई का प्रशिक्षण देने के लिए एक अल्पकालिक कैप्सूल कोर्स कराया जाएगा।

6. प्राथमिक कार्य योजना

इस स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पास इस IGA के बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और समूह के भीतर सावधानीपूर्वक और विचारशील चर्चा के बाद अतिरिक्त आय के लिए इस गतिविधि को अपनाने का फैसला किया। सदस्य इस गतिविधि को

अलग-अलग कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस गतिविधि को थोड़े बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हाथ मिलाया है। सदस्यों के बीच श्रम का विभाजन सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति IGA को मजबूत करने में योगदान दे सके और परिणामस्वरूप उनकी जेब में अतिरिक्त पैसा आए।

7. ग्राहकों

हमारे केंद्र के प्राथमिक ग्राहक ज्यादातर गांव के आसपास के स्थानीय लोग होंगेचौरा में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इस व्यवसाय को आस-पास के छोटे कस्बों में भी फैलाया जा सकता है।

8. केंद्र का लक्ष्य

The केंद्र का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से चौरा गांव के निवासियों और आसपास के गांवों के सभी निवासियों को अद्वितीय आधुनिक और उच्च श्रेणी की बुनाई सेवा प्रदान करना है।

यह केंद्र आने वाले वर्षों में अपने परिचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ सबसे प्रतिष्ठित बुनाई केंद्र बन जाएगा।

9. इस व्यवसाय को शुरू करने का कारण

इस SHG के सदस्यों के पिछले अनुभव के कारण जो पहले से ही यहाँ-वहाँ यही काम कर रहे हैं, इस IGA को चुना गया है और इसलिए SHG इस व्यवसाय को शुरू कर रहा है। यह विभिन्न सदस्यों के कौशल को संयोजित करने और अधिक आजीविका कमाने के लिए उनकी गतिविधि को बढ़ाने का एक प्रयास है।

10. स्वोट अनालिसिस

❖ **ताकत**

- कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
- कच्चा माल आस-पास के बाजारों में आसानी से उपलब्ध
- विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसानी
- परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे

- उत्पाद का स्वयं-जीवन लंबा है

❖ **कमजोरी**

- तकनीकी जानकारी का अभाव

❖ **अवसर**

- अच्छे उत्पादों की बढ़ती मांग

❖ **खतरे/जोखिम**

- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता का स्तर

11. मशीनरी, औजार और अन्य उपकरण

पारंपरिक बुनाई के साथ-साथ यांत्रिक बुनाई भी साथ-साथ चलेगी ताकि विपणन के लिए एक मूल्यवान उत्पाद उपलब्ध कराया जा सके और इसे गुणवत्ता और मूल्य दोनों में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। लक्षित क्षेत्र में मांग के आधार पर कुछ वस्तुओं का उत्पादन पारंपरिक तरीके से और कुछ का यांत्रिक तरीके से किया जाएगा।

समूह को प्रदान किए गए कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब समूह ने निर्णय लिया है कि समूह के सभी 14 सदस्य साधारण बुनाई मशीन के स्थान पर कार्ड बुनाई मशीन का उपयोग करेंगे।

निम्नलिखित मशीनरी और उपकरण खरीदने की आवश्यकता है।

एक।	**पूंजीगत लागत**			
क्रमांक।	**मशीनरी का विवरण.**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर**	**कुल राशि**
1.	कार्ड बुनाई मशीन	14	30000	4,20,000
2.	बुनाई डिजाइन पुस्तक	1	1500	1500
3.	गोला बनाने की मशीन	5	600	3000

4.	काम करने की मेज	14	1500	21000
5.	प्लास्टिक की कुर्सियाँ	14	600	8400
कुल पूंजी लागत				**4,53,900**

बी।	**आवर्ती लागत**			
क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**दर**	**मात्रा**
1.	कमरे का किराया	प्रति महीने	2000	2000
2.	पानी और बिजली	प्रति महीने	1000	1000
3.	विभिन्न रंग और गुणवत्ता के बुनाई धागे	प्रति महीने एल/एस	95000	95000
4.	चिकनाई तेल और पिपेट	प्रति महीने	1400	1400
5.	टूट फूट	प्रति माह एल/एस	1500	1500
कुल आवर्ती लागत				**100900**

12. महीने में कुल उत्पादन और बिक्री राशि

चूंकि यह SHG में उनके नियमित घरेलू काम के अलावा एक अतिरिक्त गतिविधि है, इसलिए परिणाम प्रत्येक सदस्य के काम के घंटों के अनुपात में होगा। हमेशा शुरुआत में उत्पादन को रूढ़िवादी पक्ष पर रखना बेहतर होता है जिसे समय बीतने और कार्य अनुभव के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, यह माना जाता है कि प्रत्येक सदस्य अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के रूप में प्रतिदिन एक वस्तु का उत्पादन करेगा और प्रतिदिन 14 वस्तुओं को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इस उत्पादन दर को ध्यान में रखते हुए एक महीने में लगभग 400 तैयार वस्तुएं बिक्री के लिए तैयार होंगी। शुरुआत के तौर पर अगर औसत दर 600 रुपये प्रति वस्तु मानी जाए तो प्रति माह कुल आय इस प्रकार होगी:

विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान (75%)	एसएचजी योगदान (25%)
कुल पूंजी लागत	4,53,900	3,40,425	1,13,475
आवर्ती लागत			
पूंजीगत लागत पर 10% मूल्यह्रास/माह	4539	-	4539
प्रति माह अन्य व्यय	100900	-शून्य-	100900
कुल	**5,59,339**	3,40,425	**2,18,914**

एक माह में कुल बिक्री (600*400) = 240000

पहले महीने में कुल व्यय (4,53,900+ 100900+4539) = 5,59,339

हालांकि, 3,40,425 रुपये की राशि परियोजना सहायता है इसलिए गणना के उद्देश्य से इस राशि को व्यय कॉलम से सुरक्षित रूप से घटाया जा सकता है और शुद्ध आय को फिर से फिर से डाला जा सकता है। इसके अलावा SHG के सदस्य सामूहिक रूप से काम करेंगे इसलिए उनकी मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा गया है। महीने के अंत में शुद्ध आय को निम्नानुसार फिर से डाला जाता है:

पूंजीगत लागत		
विवरण	**मात्रा**	**एसएचजी योगदान**
पूंजीगत लागत	4,53,900	1,13,475
आवर्ती व्यय		
i) प्रति माह पूंजीगत लागत पर 10% मूल्यह्रास	4539	
i) सामग्री लागत आदि पर	100900	

अन्य व्यय।		
कुल	1,05,439	
कुल लागत	**113475+103200=2,18,914**	
पहले महीने में कुल बिक्री	**240000**	
शुद्ध लाभ	**21,086**	

13. लाभ का बंटवारा

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि पहले महीने में प्रत्येक सदस्य को 1000 रुपये आय के रूप में दिए जाएंगे तथा शेष 7,086 रुपये का लाभ उनके बैंक खाते में आपातकालीन आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

14.समूह में निधि प्रवाह:

क्रमांक।	**विवरण**	**कुल राशि (रु.)**	**परियोजना योगदान**	**एसएचजी योगदान**
1	कुल पूंजी लागत	4,53,900	3,40,425	1,13,475
2	कुल आवर्ती लागत	**1,04,770**	0	**1,04,770**
3	प्रशिक्षण	75000	75000	0
	कुल परिव्यय	**6,33,670**	**4,15,425**	**2,18,245**

टिप्पणी-

- **पूंजीगत लागत** -कुल पूंजीगत लागत का 75% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा
- **आवर्ती लागत- पूरी लागत का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।**एसएचजी/सीआईजी.
- **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन – कुल लागत**परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

15.धन और खरीद के स्रोत:

परियोजना समर्थन;	• पूंजीगत लागत का 75% हिस्सा मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। • स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि परिक्रामी निधि के रूप में जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद मशीनों की खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी।
एसएचजी योगदान	• पूंजीगत लागत का 25% हिस्सा स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। • आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

16. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और विपणन
- वित्तीय प्रबंधन

17. ऋण चुकौती अनुसूची-

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

18. निगरानी विधि–

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

19. टिप्पणी

समूह सदस्यों की तस्वीरें-

इंदुबाला

रेखादेवी

मनकुमारी

यांगचेन

लतादेवी

ललितादेवी

बरखादेवी

सुजाता प्रेम लता

फूल दस्सी

कविता देवी

सत्या देवी

अनीता देवी

चिंता देवी

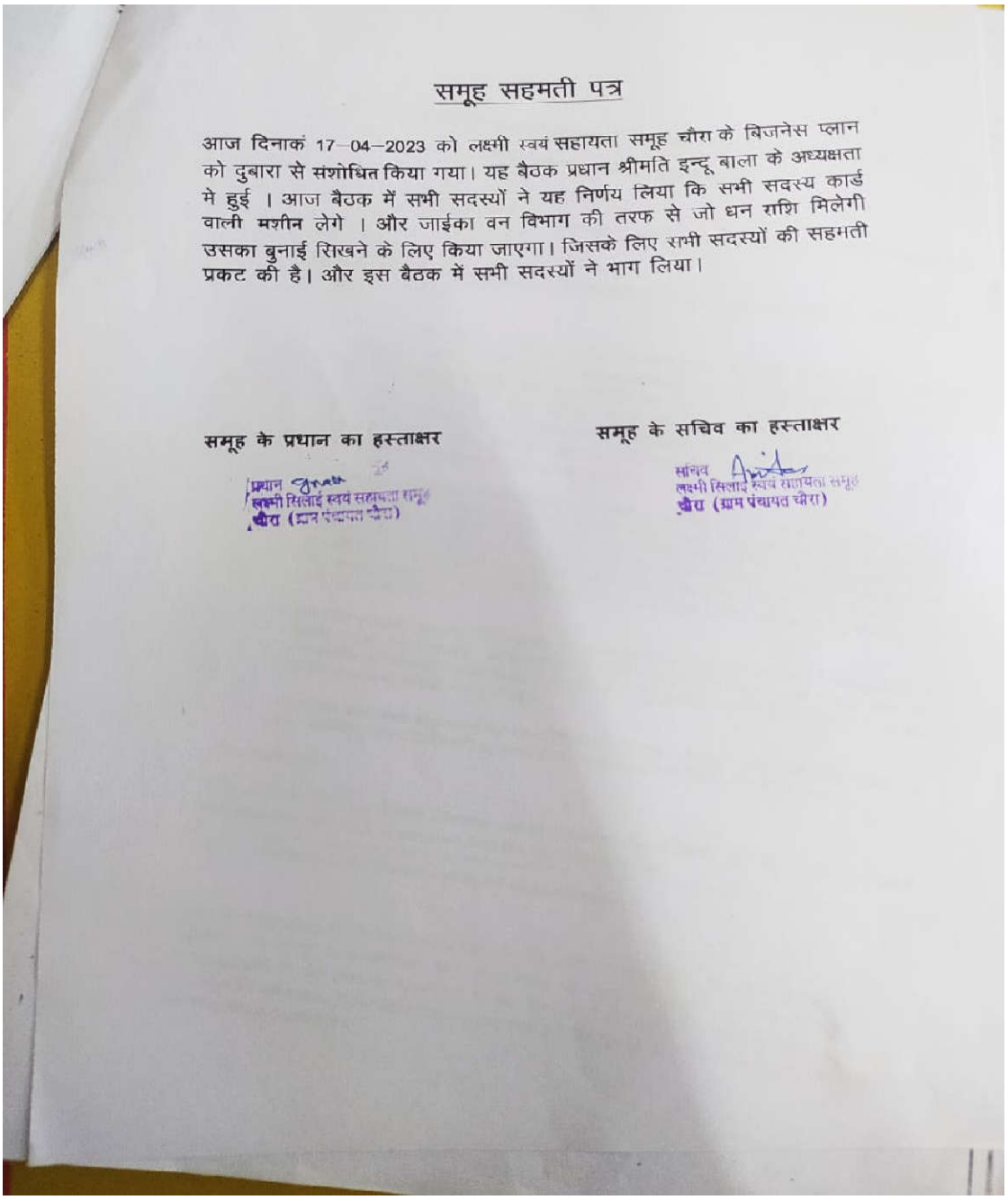

समूह सहमती पत्र

आज दिनाकं 17–04–2023 को लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह चौरा के बिजनेस प्लान को दुबारा से संशोधित किया गया। यह बैठक प्रधान श्रीमति इन्दू बाला के अध्यक्षता मे हुई । आज बैठक में सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि सभी सदस्य कार्ड वाली मशीन लेगे । और जाईका वन विभाग की तरफ से जो धन राशि मिलेगी उसका बुनाई सिखने के लिए किया जाएगा। जिसके लिए सभी सदस्यों की सहमती प्रकट की है। और इस बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

समूह के प्रधान का हस्ताक्षर

प्रधान
लक्ष्मी सिलाई स्वयं सहायता समूह
चौरा (ग्राम पंचायत चौरा)

समूह के सचिव का हस्ताक्षर

सचिव
लक्ष्मी सिलाई स्वयं सहायता समूह
चौरा (ग्राम पंचायत चौरा)

Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The .....CHAURA.....Village Forest Development Society/ BMC Sub Committee

And

The Forest Department (represented by DFO KINNAUR) for Participatory Forest Management.

Whereas

- The .CHAURA...Village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of..CHAURA..Village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee in district KINNAUR and Forest Division..KINNAUR Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called 'EC'),

- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called -Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division

- the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;

- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

The ..KINNAUR... Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently. This MoU is executed with the following articles;

1. Purpose of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (hereinafter called -Man details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

2. Responsibilities of the Society

2. 1 With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.

2 2 The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearby villages.

2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.

2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards as applicable.

2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.

2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.

2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, and illicit transport. Illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.

2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in banning the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.

2.9 The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.

2 .10 The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.

2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.

2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the

- Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.

2.13. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

2.15 The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS under the Project.

3. Responsibilities of the Forest Department

3 1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.

3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)

3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/ converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.

3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.

3.5 The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.

3.6 Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.

4.2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.

4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.

4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation. Biodiversity conservation etc..willbecredited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan)of VFDS/BMC (Sub-Committee).In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihoods activity.

4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of the Society. Society will further distribute fund similarly.

5. Rights and Benefit Sharing

5.1. The Rights of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected due to constitution of the Society and will continue to be exercised as heretofore.

5.2. The Benefits which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are as follows:

i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, lopping, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non- timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;

ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;

iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;

iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;

v) after 5 years. the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas:

vi) to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.

provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.

5.3 The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling,

whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001,

6. Monitoring & Evaluation

6.1 Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.

6.2. The EC of VEDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress and quality of work during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

6.3 A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.

6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for thatactivity.

6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfill conditions mentioned in Para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I .HARBANS SINGH...., President,.....CHAUKA..... Joint VFDS/BMC

(Sub-committee),declare on behalf of the Society,that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MOU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I understand their original meaning.

(Name and Signature of the President)
On behalf of VFDS/ BMC (Sub-committee)

Divisional Forest Officer
Kinnaur Forest Officer
On behalf of HPFD)

Witness: Village Forest Development Society /BMC(Sub-committee) and the Forest Department for Participatory Forest Management.

1. चन्द्र कला
2. संध्या - देवी
3.
4. Inder Bhagat

1 -------------------------, (Position) undertake, on behalf of Kinnaur Division Forest Department to implement all duties responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

Range Forest Officer
B/Nagar Range Officer
Bhab Range
Distt. Kinn (H. P.)

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalfof Kinnaur Forest Department.

Kinnaur Forest Division
At R/Peo

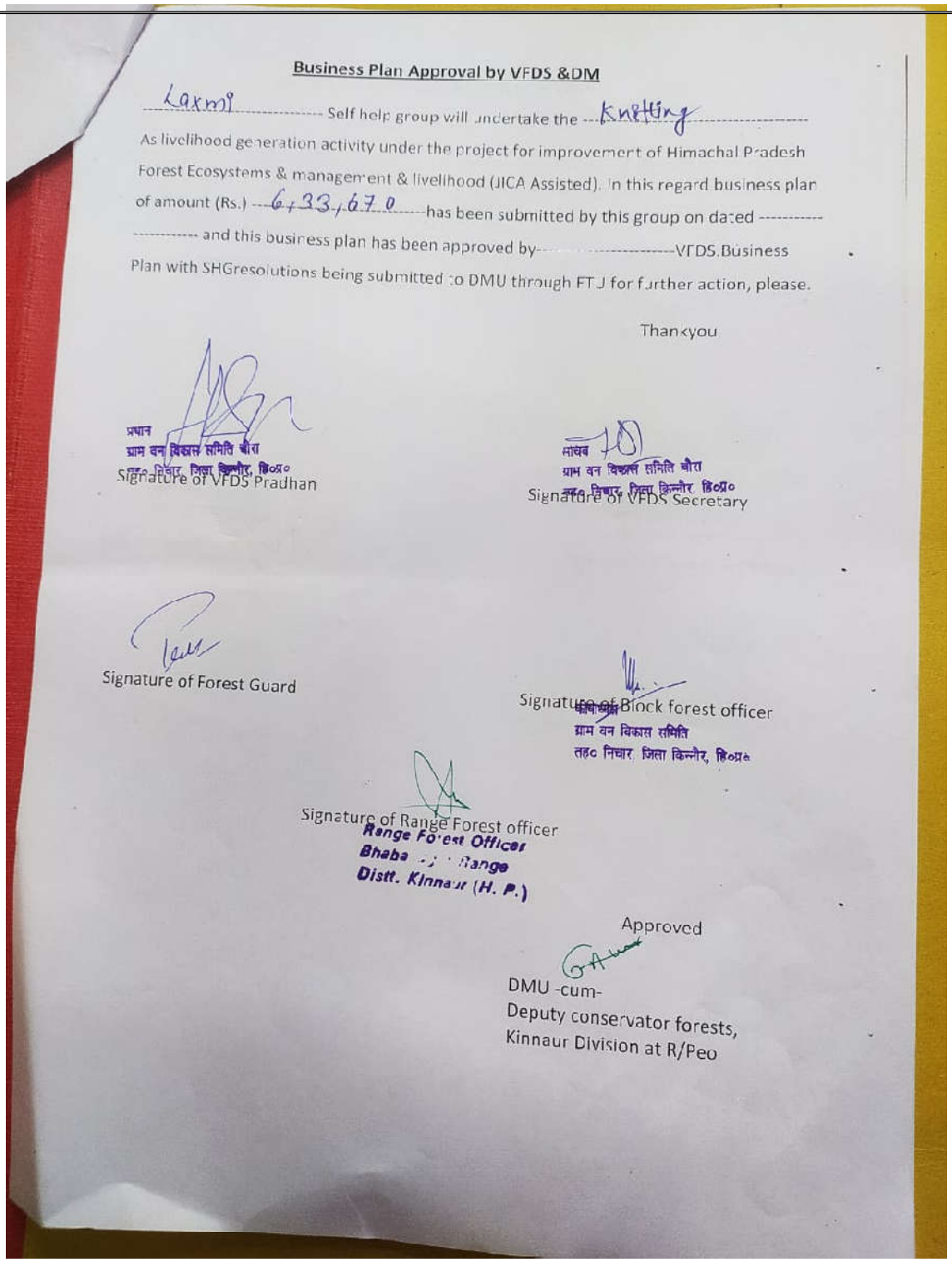

Business Plan Approval by VFDS &DM

Laxmi ---------- Self help group will undertake the ---Knitting----------

As livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems & management & livelihood (JICA Assisted). In this regard business plan of amount (Rs.) ---6,33,670----has been submitted by this group on dated ---------- ---------- and this business plan has been approved by----------VFDS.Business Plan with SHGresolutions being submitted to DMU through FTJ for further action, please.

Thankyou

प्रधान
ग्राम वन विकास समिति चौरा
तह० निचार, जिला किन्नौर, हि०प्र०
Signature of VFDS Pradhan

सचिव
ग्राम वन विकास समिति चौरा
तह० निचार, जिला किन्नौर, हि०प्र०
Signature of VFDS Secretary

Signature of Forest Guard

Signature of Block forest officer
ग्राम वन विकास समिति
तह० निचार, जिला किन्नौर, हि०प्र०

Signature of Range Forest officer
Range Forest Officer
Bhaba ... Range
Distt. Kinnaur (H. P.)

Approved

DMU -cum-
Deputy conservator forests,
Kinnaur Division at R/Peo

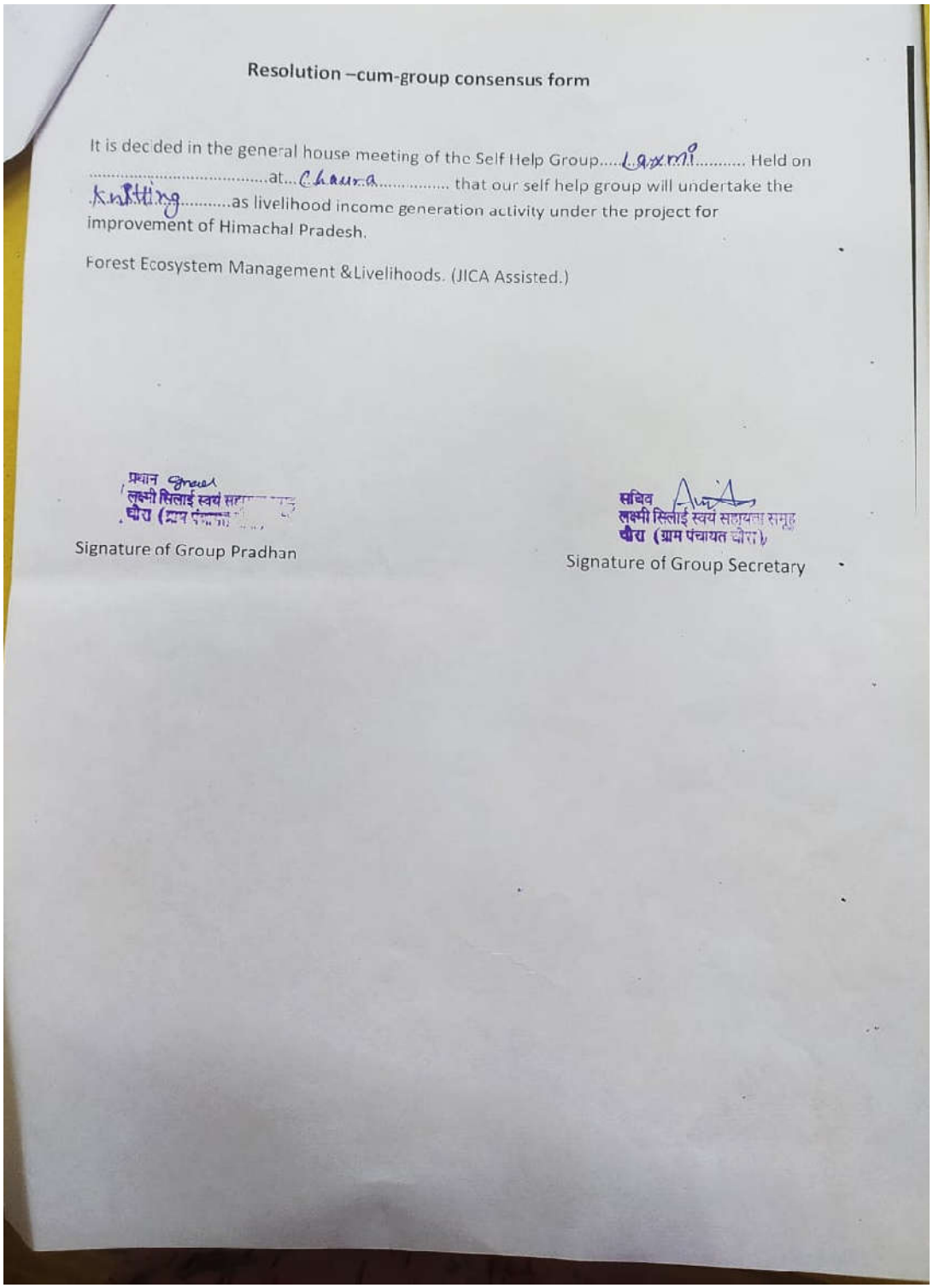

Resolution –cum-group consensus form

It is decided in the general house meeting of the Self Help Group.....Laxmi.......... Held on ....at...Chaura............... that our self help group will undertake the Knitting...........as livelihood income generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management &Livelihoods. (JICA Assisted.)

प्रधान Sneel
लक्ष्मी सिलाई स्वयं सहा[illegible]
चौरा (ग्राम पंचा[illegible]

Signature of Group Pradhan

सचिव
लक्ष्मी सिलाई स्वयं सहायता समूह
चौरा (ग्राम पंचायत चौरा)

Signature of Group Secretary